राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– एफ 2 (क) (एस–88)/अलेसे–I/2184-85 दिनांक–09.11.2011

कार्यालय आदेश संख्या 176/2011–12

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ6/2/एफडी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण मे श्री सुरेश चन्द छंगाणी, सहायक लेखाधिकारी, जिनकी जन्मतिथि 15.03.1956 है, इन्होंने लेखाकार पर पर दिनांक 12.10.1988 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा मे 18 वर्ष अथवा इससे अधिक की निरन्तर एवं संतोषजनक राज्यसेवा पूर्ण कर ली है तथा जो उक्त सेवा मे द्वित्तीय (18 वर्षीय) चयनित वेतनमान प्राप्त करने के पात्र है, को दिनाक 12.10.2006 से लेखाकार पद का द्वित्तीय चयनित वेतनमान 8000–13500 मे स्वीकृत किया जाता है।

श्री सुरेश चन्द छंगाणी, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा–10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से श्री छंगाणी, सहायक लेखाधिकारी की सेवा–पुस्तिका मे की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावें, कि संबंधित सहायक लेखाधिकारी चयनित वेतनमान स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 1998 मे वेतन प्राप्त कर रहें है।

श्री छंगाणी को उक्त चयनित वेतनमान माननीय विशेष न्यायाधीश सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जोधपुर के निर्णय दिनांक 11.01.11 के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में होने वाले निर्णय के अध्याधीन स्वीकृत किया गया है।

निदेशक

क्रमांक– एफ 2 (क) (एस–88)/अलेसे–I/2184-85 दिनांक–09.11.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अधीक्षक प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर।
2. श्री सुरेश चन्द छगाणी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय–प्रावैधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I)